<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 12/2021

1 जगदीश पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासी लाडपुर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सोहनलाल पुत्र चौथूराम।
2 श्रीराम पुत्र चौथूराम।
3 रामपाल पुत्र गणेशराम।
4 रामनाथ पुत्र गणेशराम।
5 रिछपाल पुत्र गणेशराम।
6 बनवारी पुत्र गणेशराम।
7 गीता देवी पुत्री गणेशराम।
8 पतासी देवी पत्नी गणेशराम
9 संतोष पुत्री गणेशराम समस्त जाति जाट निवासीगण लाडपुर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
10 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर बइजलास श्री अशोक कुमार आर.ए.एस. प्रकरण संख्या 67/2019 उनवानी सोहनलाल आदि बनाम गणेशराम आदि दिनांकित 23.02.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांक:— 20.09.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 67/2019 में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा धारा 251ए में आवेदन प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 545 में से 4 मीटर चौडे एवं 65 मीटर लम्बे रास्ते की मांग की गई। दौराने सुनवाई अपीलांट के पिता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई रेस्पोडेंट का आवेदन धारा 251ए स्वीकार कर लिया गया। इसके विरूद्व अपीलांट के पिता द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 23.10.2018 को खारिज हो गई। इसके विरूद्व वर्तमान अपीलांट की ओर से माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी दायर की गई जो स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय ने पुन विधिक प्रकिया की पालना किये बिना, अपीलांट को सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 4 ता 9 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को नकारते हुये कथन किया गया कि प्रार्थीगण का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

माननीय न्यायालय के समक्ष चाहा गया रास्ता कतई प्राप्ति के हकदार नहीं है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 543 में आवागमन हेतु डोटेड लाईन रास्ता मौजूद है जिसे तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 09.06.2017 में वर्तमान में प्रचलित नहीं होना बताया गया है। कानूनन प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अंकित रास्ते को खुलवाने की कार्यवाही कर सकते है। नये रास्ते का क्लेम नहीं कर सकते है। उक्त डोटेड लाईन रास्ता आगे भी कई खातेदारों के आवागमन हेतु रास्ते की व्यवस्था हो जायेगी। विचारण न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारों की जवाब देही पूर्ण किये बिना, जवाब देही बन्द किये बिना, अपीलांट की बहस सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश में आदेश सहमती के आधार पर पारित करना अंकित किया है किन्तु अपीलांट की ऐसी सहमती नही रही है। पत्रावली पर सहमती का कोई साक्ष्य नही है। अपीलांट को विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का भी अवसर प्रदान नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि धारा 251ए में संक्षिप्त कार्यवाही होती है जो दावा की प्रक्रिया से भिन्न होती है। प्रस्तुत प्रकरण में मौके पर डोटेड लाईन से रास्ता होने का कथन अपीलांट द्वारा किया जा रहा है जबकि मौके पर रास्ता भौतिक रूप से निरन्तर आवागमन हेतु चालु होने पर ही वैकल्पिक रास्ता माना जाता है। डोटेड लाईन का रास्ता मौके पर चालु नही है। यह रास्ता भू–प्रबन्ध विभाग के कार्मिकों की गलती से अंकित किया गया है। विचाराधीन निर्णय से अपीलांट को कोई क्षति नही है। सींव के सहारे–सहारे रास्ता दिया गया है। भूमि के बदले भूमि देने के लिये तैयार है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2022(1) पेज 558, आर.आर.टी. 2019(2) पेज 1098 एवं इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 92/2021 बउनवानी बद्री बनाम श्योदान आदि में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2022 की प्रति प्रस्तुत की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 4 ता 9 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को नकारते हुये कथन किया गया कि प्रार्थीगण का माननीय न्यायालय के समक्ष चाहा गया रास्ता कतई प्राप्ति के हकदार नहीं है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 543 में आवागमन हेतु डोटेड लाईन रास्ता मौजूद है जिसे तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 09.06.2017 में वर्तमान में प्रचलित नहीं होना बताया गया है। कानूनन प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अंकित रास्ते को खुलवाने की कार्यवाही कर सकते है। नये रास्ते का क्लेम नहीं कर सकते है। उक्त डोटेड लाईन रास्ता आगे भी कई खातेदारों के आवागमन हेतु रास्ते की व्यवस्था हो जायेगी। विचारण न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारों की जवाब देही पूर्ण किये बिना, जवाब देही बन्द किये बिना, अपीलांट की बहस सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश में आदेश सहमती के आधार पर पारित करना अंकित किया है किन्तु अपीलांट की ऐसी सहमती नही रही है। पत्रावली पर सहमती का कोई साक्ष्य नही है। अपीलांट को विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का भी अवसर प्रदान नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.10.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 20.9.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर